रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257760
CG-DL-E-08102024-257760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4013] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946
No. 4013] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2024

**सं. 21/2024-केंद्रीय कर**

**का.आ. 4372(अ).**—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (उक्त अधिनियम) की धारा 128क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट संबंधित तारीख को वह तारीख अधिसूचित करती है, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान,यथास्थिति,उक्त सारणी के स्तंभ(2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थात:-

**सारणी**

| क्रम सं. | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग | वह तारीख, जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान,यथास्थिति, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है। |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश जारी किया गया है। | 31.03.2025 |
| 2 | ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण के लिए आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित होता है, यह मानते हुए कि सूचना उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी। | उक्त अधिनियम की धारा 73के अधीन कर का पुनर्निर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से छह माह पूरे होने पर समाप्त होने वाली तारीख। |

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर ,2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक